

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 312] No. 312] नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2018/ वैशाख 24, 1940 NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2018/VAISAKHA 24, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाश्लक बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 2018

सं. 41/2018-सीमाश्ल्क (गै.टे.)

सा. का. नि. 451 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2013, जिसे सा. का. नि. 395(अ), दिनांक 21 जून,2013 के तहत प्रकाशित किया गया था, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़कर,केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदुद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ और अनुप्रयोग—

- 1. इन विनियमों को कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2018 कहा जायेगा।
- 2. ये विनियम सरकारी राज-पत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 3. ये विनियम उन कस्टम्स ब्रोकर्स पर लागू होगा जिनको लाइसेन्स जारी किया जा चुका है या उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिनको लाइसेन्सशुदा कस्टम्स ब्रोकर्स ने इस विनियम, या कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 1984 या कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2004 या कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2013 के अंतर्गत सेवायोजित या नियुक्त किया हो।
- 4. इन विनियमों के अंतर्गत दिए गए या नवीकृत किए गए प्रत्येक लाइसेन्स के बारे में यह माना जायेगा कि ये लाइसेन्स लाइसेंसी के पक्ष में जारी या नवीकृत किए गए हैं,और किसी भी लाइसेन्स को न तो बेचा जा सकेगा अथवा न ही किसी अन्य प्रकार से इसको अंतरित ही किया जा सकेगा।

2642 GI/2018 (1)

- 2. परिभाषायें .—(1)इन विनियमों में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "आधार संख्या" से अभिप्राय 'दि आधार (टार्गेटेड डिलिवरी ऑफ फाइनेन्सियल एंड अदर सबसीडीज़, बेनेफिट्स एंड सर्विसेज) एक्ट, 2016 (2016 का 18) की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत किसी व्यक्ति को जारी की गई आधार संख्या से है;
 - (ख) "अधिनियम "से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) से है ;
 - (ग) "कम्पनी"से अभिप्राय कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा परिभाषित कम्पनी से है;
 - (घ) "कस्टम्स ब्रोकर" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे इन विनियमों के अंतर्गत किसी कस्टम्स स्टेशन पर वाहनों के आगमन या प्रस्थान या माल के आयात या निर्यात से संबंधित किसी कारोबार के प्रयोजनार्थ किसी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स प्राप्त हो। इसमें लेखा-परीक्षा भी आता है;
 - (ङ) "फर्म", "फर्म नाम", "भागीदार" और "भागीदारी" का अर्थ वही होगा जो अर्थ क्रमशः इनके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9)में दिया गया हो लेकिन "भागीदार" की अभिव्यक्ति में ऐसा भी व्यक्ति आता है जो अवयस्क होने के नाते भागीदारी के लाभ के लिए शामिल किया गया हो:
 - (च) "फार्म" से अभिप्राय इस विनियम में परिशिष्ट के रूप में दिये गए फार्मों से है;
 - (छ) "एफ कार्ड होल्डर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिसे 'फार्म-एफ' में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जा चुका है;
 - (ज) "जी-कार्ड होल्डर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने विनियम 13 में संदर्भित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिसे 'फार्म-जी' में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जा चुका है;
 - (झ) "एच-कार्ड होल्डर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने विनियम 13 में संदर्भित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिसे 'फार्म-एच' में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जा चुका है;
 - (ञ) "पैन" से अभिप्राय आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 139 क के अंतर्गत जारी किए गए स्थायी खाता संख्या से है;
 - (ट) "धारा" से अभिप्राय अधिनियम की धारा से है।
 - (2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका यहाँ तो प्रयोग हुआ है लेकिन ये इस विनियम में परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो इनके लिए उक्त अधिनियम में क्रमश: दिया गया है।
 - 3. कस्टम्स ब्रोकर को लाइसेन्स प्राप्त करना है—कोई भी व्यक्ति किसी भी कस्टम्स स्टेशन पर किसी वाहन के आगमन या प्रस्थान या माल के आयात या निर्यात से संबन्धित जिसमें लेखा-परीक्षा का भी काम आता है, कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपना व्यवसाय नहीं चला सकता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति के पास इस विनियम के अंतर्गत जारी लाइसेन्स न हो:

बशर्ते कि इन विनियम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए किसी लाइसेन्स की जरूरत नहीं-

- (क) ऐसा कोई आयातकर्ता या निर्यातकर्ता जो किसी कस्टम्स स्टेशन से एकल रूप से अपने किसी भी कोई संव्यवहार करता हो;
- (ख) किसी व्यक्ति या फर्म का कोई भी कर्मचारी जो कि सामान्यतया ऐसी फर्म या व्यक्ति या फर्म की ओर से संव्यवहार करता है और उप-आयुक्त सीमाशुल्क, या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र या अस्थाई पास धारण करता हो;तथा
- (ग) एक या एक से अधिक जहाजों या विमान के लिए इस प्रकार के जहाज़ या विमान के एकमात्र में प्रवेश या निकासी के लिये, इस प्रकार के एजेंट के अपने कार्य के प्रयोग के लिये एक एजेंट को नियोजित किया हो ।
- 4. **आवेदन के लिए आमंत्रण**—(1) कार्य प्रबंधन महानिदेशालय (DGPM) प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में वेब पोर्टल पर प्रसारण के अलावा अँग्रेजी और हिन्दी के दो प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से परीक्शा और फिर उसके बाद कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने के लाइसेन्स जारी के लिए फार्म क में आवेदन आमंत्रित करेगा।

- (2) किसी कस्टम्स स्टेशन पर कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने के लिए उस प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह क्षेत्र आता हो जहां कि कोई आवेदक अपना कारोबार करना चाहता है, के पास पाँच सौ रूपये के शुल्क के साथ फार्म-क में लाइसेन्स के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- 5. आवेदक के द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें.—(1) किसी भी आवेदक को किसी कस्टम्स स्टेशन पर कस्टम्स ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रधान आयुक्त , सीमाशुल्क या आयुक्त,सीमाशुल्क के पास आवेदन कराते समय निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
 - (क) वह भारत का नागरिक हो;
 - (ख) वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हो उसे;
 - (ग) उसे किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न घोषित किया गया हो;
 - (घ) उसका एक आधार नंबर होना चाहिये ;
 - (ङ) उसके पास वैध पैन कार्ड होना चाहिये;
 - (च) उसे इस अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32), केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017(2017का12), और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दंडित न किया गया हो;
 - (छ) न तो उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध करार दिया गया हो और न ही किसी विधि न्यायालय में उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई विचाराधीन हो;
 - (ज) कोई वैयक्तिक आवेदक या यदि कोई आवेदक कोई फर्म है तो उस मामले में उसका भागीदार, उसका निदेशक या कोई प्राधिकृत कर्मचारी, जो कि सीमाशुल्क से संबन्धित काम-काज को देखता है,उस आवेदक
 - i. को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिये; और
 - ii. के पास भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय कीव्यावसायिक डिग्री जैसे कि एकाउंटिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष, सीए/सीएस /एमबीए /एलएलएम /एसीएमए/एफसीएमएया कस्टम्स क्लियरेन्स वर्क में डिप्लोमा हो या जी-कार्ड होल्डर के रूप में कस्टम्स ब्रोकर के काम का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो;
 - (झ) किसी अनुसूचित बैंक के द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र या अन्य कोई प्रमाण, जो कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क , जैसी भी स्थिति हो, को स्वीकार्य हो, से यह प्रकट हो कि उसके पास कम से कम पाँच लाख रूपए की परिसंपत्ति है, जिससे उसकी वित्तीय व्यवहार्यता सिद्ध हो।
- (2) भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क) का कोई सेवानिवृत्त समूह क अधिकारी, जिसकि समूह 'क' के पद पर कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हे ,वह भी कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने के लिए लाइसेन्स हेतु आवेदन करने का योग्य होगा बशर्ते कि वह उपर्युक्त उप विनियम (1) के (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) तथा(झ)में निर्धारित शर्तें पूरी करता है।
- (3) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो,इस विनियम के प्रयोजन के लिए आवेदन को कार्य निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट) के पास अग्रसारित करने से पहले आवेदक की पात्रता का सत्यापन कराएगा।

6. **आवेदक की परीक्षा**—(1) जो आवेदक विनियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा करता हो,उसको कार्य निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट) के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा (विशेष कर ऑन लाइन)भी देनी होगी:

बशर्ते कि यदि किसी आवेदक ने कस्टम्स हाउस एजेन्ट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन,1984 के विनियम 9 और कस्टम्स हाउस एजेन्ट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन, 2004 के विनियम 8 या कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स,2013 के विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा पहले ही पास कर ली हो तो उसे आगे ऐसी अन्य किसी भी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है।

- (2) लिखित परीक्षा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह की विनिर्दिष्ट तारीख को हुआ करेगी जिसके लिये आवेदक को परीक्षा की तारीख से पूर्व व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया जाएगा और उक्त परीक्षा का परिणाम प्रत्येक वर्ष के मई महीने के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा।
- (3) उक्त परीक्षा में जो भी आवेदक सफल घोषित होगा उसे प्रत्येक वर्ष के जून माह की निर्धारित तारीख को मौखित परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिसका परिणाम प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में घोषित किया जाएगा।
- (4) आवेदक को लिखित परीक्षा और तत्संबंधी मौखिक परीक्षा, दोनों को ही पास करना जरूरी होगा।
- (5) लिखित परीक्षा में बैठने के किसी भी प्रयास को एक प्रयास माना जाएगा और किसी आवेदन को अयोग्य/रद्द कर दिये जाने के बावजूद भी, यदि आवेदक परीक्षा में बैठ गया है तो इस प्रकार परीक्षा में बैठने को एक प्रयास माना जाएगा।
- (6) आवेदक को इस परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम छः प्रयासों की अनुमति होगी।
- (7) इस परीक्षा में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न होंगे:
 - (क) विभिन्न प्रकार के आगम-पत्रों, निर्यात बिलों, शिपिंग बिलों और क्लियरेंस संबंधी अन्य कागजातों को तैयार करना;
 - (ख) जहाजों के आगमन की प्रविष्टि और उनका क्लियरेंस;
 - (ग) टैरिफ़ वर्गीकरण और श्ल्क की दर;
 - (घ) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण;
 - (ङ) मुद्रा का विनिमय;
 - (च) कागजातों की प्रकृति और विवरण जिन्हें विभिन्न प्रकार के आगम पत्रों, शिपिंग बिल्स और अन्य क्लियरेंस कागजातों के साथ जमा करना होगा;
 - (छ) शुल्क के आकलन और भुगतान की प्रक्रिया, जिसमें भुगतान किए गए शुल्क का रिफ़ंड भी शामिल है;
 - (ज) कस्टम्स स्टेशनों पर माल की जांच;
 - (झ) आयात और निर्यात पर प्रतिबंध;
 - (ञ) बंध-पत्र भराने की प्रक्रिया और बंध-पत्र संबंधित निकासि प्रक्रिया ;
 - (ट) पुनः आयात तथा निः शुल्क पुनः-प्रवेश की शर्तें;
 - (ठ) प्रति अदायगी और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, जिनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना भी शामिल है;
 - (ड) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध;

- (ढ) संबद्ध अधिनियमों के प्रावधान, जिनमें केन्द्रीय माल एवं सेवा अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट,1884 (1884 का 4),नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम 1914 (1914 का 2), अनिष्टकारक मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2), औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1),प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14), व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम 1958 (1958 का 43), आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54), पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39), स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22), विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42), डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का नंबर 34) और EXIM व्यापार पर लागू होने वाल अन्या कानून और और इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियम और विनियम शामिल हैं,जहां तक कि वे सीमा शुल्क के माध्यम से माल की निकासी के लिए प्रासंगिक हैं;
- (ण) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1998 का 49) के प्रावधान;
- (त) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील की प्रक्रिया और पुनरीक्षण के आवेदन; और
- (थ) 'इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑर इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज गेटवे' (आईसीईजीएटीई) एंड'इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम' (आईसीईएस) के तहत प्रवेश तथा शिपिंग बिलों को ओन-फयलिंग करना।
- (द) सीमा शुल्क अधिनियम और इससे संबन्धित अन्य अधिनियमों के अंतर्गत जारी विनियमों, नियमों,अधिसूचनाओं आदि की जानकारी
- (8) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि वैयक्तिक आवेदक, या उस मामले में जिसमें आवेदक कोई फर्म या कंपनी है तो उस स्थिति में उसका भागीदार या निदेशक या वह प्राधिकृत व्यक्ति जिसे सीमाशुल्क के कामकाज के लिए लगाया गया हो, अँग्रेजी और कस्टम्स स्टेशन की स्थानीय भाषा का संतोषजनक ज्ञान रखता है:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको कि किसी डाक्स में ढेर सारे काम के लिए लगाया गया हो, अँग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य नहीं है, और हिन्दी के ज्ञान को वांछनीय योग्यता मान लिया जायेगा।

7. लाइसेन्स की स्विकिति —(1)ऐसा आवेदक जिसने लिखित और मौखिक दोनों ही परीक्षा पास कर ली है, मौखिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर पाँच हजार रूपये के शुल्क का भुगतान करके विनियम 4 के उप-विनियम (2) में संदर्भित प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क को अपने भुगतान का ब्यौरा देगा और उक्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसे ब्यौरे का सत्यापन कराने के बाद आवेदक को शुल्क के भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर लाइसेन्स जारी कर देगा:

बशर्ते कि जहां सफल आवेदक निर्धारित अवधि के भीतर उक्त शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है वहाँ आवेदक को लाइसेन्स जारी कराने का अधिकार ज़ब्त हो जायेगा।

- (2) ऐसे आवेदक को जिसने कि उप-विनियम (1) में संदर्भित शुल्क का भुगतान कर दिया है, प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क निम्न प्रकार से लाइसेन्स जारी करेगा:—
- (क) यदि किसी व्यक्ति ने विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास किया है उसे फार्मबी1 में लाइसेन्स दिया जाएगा।

(ख) किसी कंपनी, फर्म या एसोसिएशन को फार्म बी 2 लाइसेन्स तब दिया जाएगा यदि उसके कम से कम एक निदेशक, भागीदार या किसी प्राधिकृत कर्मचारी ने विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा पास कर ली हो:

बशर्ते कि यदि किसी निर्धारित समय में ऐसा निदेशक, भागीदार या प्राधिकृत व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत ऐसी एक से अधिक फार्म या कंपनी की ओर से ऐसा संव्यवहार नहीं कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि जहां कोई कंपनी या फर्म जिसको कि इस विनियम के अंतर्गत लाइसेन्स दिया जा चुका है, अपने निदेशकों, प्रबंध निदेशकों या भागीदारों में कोई परिवर्तन करती है, तो वो लाइसेन्सधारी एक महीने के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क,जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे परिवर्तन के बारे में संसूचित करेगा:

बशर्ते यह भी कि जहां कोई फ़र्म या कंपनी, जिसको कि इस विनियम के अंतर्गत लाइसेन्स दिया गया है, ऐसा कोई परिवर्तन करती है जिससे कि उसका पैन (PAN) बदल जाता है तो ऐसे लाइसेंसधारी को ऐसे परिवर्तन के साठ दिन के भीतर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास नए लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा।

- (3) ऐसा कोई भी आवेदक जिसको कि उप-विनियम (2) के अंतर्गत लाइसेन्स दिया गया है, सभी कस्टम्स स्टेशनों पर कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने का पात्र होता है बशर्ते कि उसे उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त,सीमाशुल्क, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह अपना काम करना चाहता है, को फार्म ग में इस बात कि सूचना देनी होगी और इस सूचना की एक प्रति उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो,के पास फार्म बी 1 या फार्म बी 2 में संलग्न करके देगा जिसने कि उसको लाइसेन्स जारी किया हो।
- (4) कोई भी कस्टम्स ब्रोकर इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी कस्टम स्टेशन पर काम करने का पात्र होगा जिसके लिए उक्त फार्म-सी में सूचना देना अपेक्षित होगा बशर्ते कि ऐसा कस्टम्स ब्रोकर ऐसा संव्यवहार फार्म बी 1 और फार्म बी 2 में जारी किए गए लाइसेन्स की तारीख से दो वर्ष के बाद ही करने का पात्र होगा:

बशर्ते कि उक्त दो वर्ष की अवधि को उस स्थिति में माफ कर दिया जाएगा यदि कस्टम्स ब्रोकर को उक्त लाइसेन्स कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2004 या कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया हो:

बशर्ते यह भी कि उप-विनियम (4) में संदर्भित दो वर्ष की अवधि की शर्त वहाँ नहीं लागू होगी जहां विनियम 4 के उप-विनियम (2) में संदर्भित सूचना को प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क को, जैसी भी स्थिति हो,उक्त फार्म-सी में दी गयी हो।

- 8. बंध-पत्र का निष्पादन और प्रतिभूति जमा करना —(1) विनियम 7 के अंतर्गत लाइसेन्स जारी करने के पहले प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क सफल आवेदक को कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपना कारोबार करने के लिए प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के नाम से पांच लाख रूपये की राशि का फार्म- डी में एक बंध-पत्र भरने, इन विनियमों के विधिवत अनुपालन के लिए फार्म-ई में एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरने और बैंक गारंटी या पोस्टल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय बचत-पत्र या साविध जमा रसीद, जिसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो, जमा करने के लिये कहेगा।
- (2) जिन मामलों में पोस्टल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय बचत-पत्र या सावधि जमा रसीद जमा की जाती है, तो वहाँ इन विलेखों पर उद्भूत ब्याज का लाभ संबन्धित कस्टम्स ब्रोकर को मिलेगा।
- 9. लाइसेन्स की वैधता अवधि—(1) इस विनियम 7 के अंतर्गत जारी किया गया लाइसेन्स इसके जारी होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक के लिए वैध रहेगा और उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार इसका समय-समय पर नवीनीकरण किया जाएगा:

बशर्ते कि कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2004 या कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2013 के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेन्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया और शुल्क क्रमशः उप-विनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया तथा उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार ही होगी:

बशर्ते यह भी कि किसी कस्टम्स ब्रोकर, जिसे बोर्ड के परिपत्र सं. 28/2012-सीमाशुल्क, दिनांक 16.11.2012 या 33/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 22.7.2016 में संदर्भित प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया हो, को उस समय तक अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है जब तक कि उक्त प्राधिकार की वैधता बनी रहती है।

(2) विनियम 7 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क लाइसेंसधारी के द्वारा दिए गए आवेदन पर, उप-विनियम (1) के अंतर्गत लाइसेन्स की वैधता की समाप्ति के पहले, इसके समाप्त होने की तारीख से अगले दस साल के लिए लाइसेन्स का नवीनीकरण कर सकेगा बशर्ते कि अन्य बातों के अलावा इस विनियम में विनिर्दिष्ट उसके दायित्वों की दृष्टि से लाइसेन्सी का कामकाज संतोषजनक पाया गया हो जिसमें ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर कदाचार का कोई आरोप न लगाए जाने की बात भी शामिल है।

बशर्ते कि जहां कस्टम्स ब्रोकर लाइसेन्स की वैधता के समाप्त होने के पहले इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दे पाता है तो वहाँ प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि ऐसे विलंब के वाजिब कारण हैं, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर कस्टम्स ब्रोकर के द्वारा नवीनीकरण के शुल्क के अलावा दो हजार रूपये का विलंब शुल्क जमा किए जाने पर लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकेगा।

(3) लाइसेन्स के नवीनीकरण का शुल्क पंद्रह हजार रूपए होगा।

10. **कस्टम्स ब्रोकर्स के दियत्व** —कस्टम्स ब्रोकर—

- (क) प्रत्येक कंपनी, फर्म या उस व्यक्ति से प्राधिकार–पत्र प्राप्त करेगा जिसके लिए तत्समय वह कस्टम्स ब्रोकर के रूप में नियुक्त किया गया हो और ऐसे प्राधिकार-पत्र को जब भी उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा मांगा जाए उस समय उसको प्रस्तुत करेगा;
- (ख) कस्टम्स स्टेशन में या तो व्यक्तिगत रूप से या ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से जिसे कि उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, अपना कारोबार करेगा;
- (ग) किसी भी मामले में ऐसे किसी भी ग्राहक का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जिसमें कस्टम्स ब्रोकर, को केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड का पूर्व-कर्मचारी रहने के कारण व्यक्तिगत तरजीह दी गई हो अथवा सरकारी सेवा में रहते हुए, उसकी ज्ञान ग्रहन किया हो;
- (घ) अपने ग्राहक को इस अधिनियम, अन्य सहायक अधिनियमों के प्रावधानों, और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने की सलाह देगा और अनुपालन न किए जाने की स्थिति में वह उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के ध्यान में इस मामले को लाएगा;
- (ङ) इस बात को ध्यान में रखेगा कि वह अपने ग्राहक को कोगो या बैगेज के क्लियरेंस के बारे में जो भी जानकारी देगा वह सही हो;
- (च) कार्गो या बैगेज क्लियरेंस के बारे में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के बारे में जारी किए गए किसी भी आदेश, निर्देश या सार्वजनिक सूचना में निहित किसी भी जानकारी को उस ग्राहक से नहीं छिपाएगा जिसके लिए ये जानकारी दी गयी है;

- (छ) जब भी किसी शुल्क, कर या अन्य ऋण के भुगतान या सरकार के प्रति किसी दायित्व को पूरा करने के लिए कोई राशि प्राप्त करता है तो वह उसे तत्काल सरकार के खाते में जमा करेगा, और यदि वह सरकार से कोई धन प्राप्त करता है या अपने ग्राहक की ओर से कार्गों या बैगेज से संबन्धित भुगतान से अधिक राशि पाता है तो वह उसके बारे में अपने ग्राहक को तत्काल बताएगा;
- (ज) किसी भी प्रकार के सरकारी या अन्य सरकारी स्रोतों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचना की अधिप्राप्ति नहीं करेगा जिसकी सहमति संबंधित कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गई हो।
- (झ) कस्टम्स स्टेशन के किसी भी अधिकारी या उसके अधीनस्थ को उसके पास विचारधीन पड़े किसी भी मामले में धमकी, गलत आरोप, दबाव या अन्य किसी विशेष प्रकार के उत्प्रेरण, या लाभ का आश्वासन या किसी प्रकार का उपहार दे कर या उसका पक्ष लेकर या मूल्यवान वस्तु देकर प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा;
- (ञ) कटम्स ब्रोकर के रूप में अपने संव्यवहारों से संबिन्धित किसी बही खाता, कागजात या अन्य दस्तावेज़, जिसको कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो , के द्वारा मांगा गया हो या मांगा जा सकता हो, को सुलभ कराने से न तो इंकार करेगा और न ही उसको पूर्णतया या उसके किसी अंश को छिपाएगा, न ही हटाएगा और न ही नष्ट करेगा:
- (ट) सभी प्रकार के रिकार्ड्स जैसे कि बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, ट्रांसिशपमेंट एप्लिकेशन आदि सभी प्रकार के पत्रव्य वहार और अन्य कागजात, जो कि कस्टम्स ब्रोकर के रूप में उसके कारोबार से संबंधित हों, को अद्यतन रखेगा और बही खातों को, जिसमें वित्तीय संव्यवहार भी शामिल है, को उसी प्रकार व्यवस्थित और मदवार रखेगा जैसा कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, या आयुक्त, सीमाशुल्क, या उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ठ) यदि उसको दिया गया लाइसेन्स खो जाता है तो वह प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, या आयुक्त, सीमाशुल्क , जैसी भी स्थिति हो, को तत्काल इसकी सूचना देगा;
- (ड) कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपने कर्तव्यों का तेजी से और पूरी क्षमता से निर्वाह करेगा और इसमें कोई विलंब नहीं करेगा;
- (ढ) अपने ग्राहक की पहचान के लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड (आईईसी) संख्या, माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), और उसके घोषित पतेपर उसके कामकाज का विश्वसनीय, स्वतंत्र और प्रामाणिक कागजातों, आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर सत्यापन करेगा;
- (ण) डाक-पता, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल आदि में कोई परिवर्तन होता है, तो वह उसके बारे में सभी कस्टम्स स्टेशनों के उप-आयुक्त, सीमाशुल्क, या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क,जैसी भी स्थिति हो, जिसमें उस आयुक्तालय के वे संबन्धित उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त भी आते हैं जिन्होंने लाईसेन्स जारी किया हो, तत्काल दो दिन के भीतर सूचना देगा;
- (त) उन सभी कागजातों और दस्तावेजों को व्यवस्थित रखेगा जिन्हें इस विनियम के अंतर्गत रखना जरूरी हो और वह उन्हें कम से कम पाँच साल तक रखेगा तथा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किए जाने के समय वह उन्हें उपलब्ध कराएगा; और
- (थ) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेगा और अपने या अपने कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली किसी भी जांच में तत्काल सहयोग देगा।
- 11. किसी फर्म या कम्पनी के संविधान में परिवर्तन —(1) यदि किसी फार्म या कम्पनी, जिसको कि इस विनियम के अंतर्गत लाइसेन्स दिया गया हो, के संविधान में कोई परिवर्तन होता है, जिसके कारण, विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति के रोजगार के जारी रखने के वावजूद, विनियम 7 के उप-विनियम (2) के उप-वाक्य (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों की

दृष्टि से ऐसे लाइसेन्स को रखना अवैध हो जाता हो तो वह फर्म या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे परिवर्तन के बारे में प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क को अवगत कराएगी और ऐसी फर्म या कम्पनी जो कि ऐसे परिवर्तन कर रही हो, उक्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे परिवर्तन की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर विनियम 7 के अंतर्गत नए लाइसेन्स के लिए नया आवेदन करेगी और वह प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, यदि उस फार्म या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, के खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है, तो उसको नया लाइसेन्स जारी कर देगा।

(2) फार्म या कम्पनी, जो कि उपर्युक्त उप-विनियम (1) में यथा संदर्भित नए सिरे से आवेदन कर रही हो, पर विनियम 7 के उप-विनियम (2) के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित शर्तें यथावत लागू होंगी :

वशर्ते कि यदि लाइसेन्स धारक फर्म या कम्पनी ऐसे परिवर्तन के लिए कोई आवेदन करती है तो ऐसी फर्म या कम्पनी प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से कस्टम्स ब्रोकर के कार्य को तब तक कर सकती है जब तक कि ऐसी फर्म या कम्पनी के नए आवेदन पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है।

(3) उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि कोई फर्म या कम्पनी, जहां कि किसी भागीदार या निदेशक या ऐसे प्राधिकृत कर्मचारी, जिसने कि विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा पास की हो, की मृत्यु या सेवानिवृत्त होने के कारण लाइसेन्स लागू नहीं रह गया है, तो ऐसी फर्म या कम्पनी मृत व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे भागीदार, निदेशक या ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम बदलने का आवेदन कर सकती है, जिसने कि विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास किया हो;:

वशर्ते कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति फर्म या कम्पनी में नहीं होता है तो ऐसी फर्म या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे किसी अन्य भागीदार, निदेशक, या प्राधिकृत कर्मचारी,जो कि विनियम 13 के उप-विनियम (5) में संदर्भित जी-कार्ड धारक हो,को उक्त व्यक्ति की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास करने के लिए प्राधिकृत कर सकती हैऔर फिर ऐसी फर्म या कम्पनी प्रधान आयुक्त,सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से कस्टम्स ब्रोकर का तब तक कार्य कर सकेगी जब तक कि ऐसा भागीदार, निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता है।

बशर्ते जहां कि ऐसी फर्म या कम्पनी या एसोसिएशन का जी-कार्ड धारक व्यक्ति विनियम 6 में संदर्भित लिखित परीक्षा में उक्त दो वर्ष के भीतर बैठता है, तो उक्त दो वर्ष की अवधि के समाप्त हो जाने के बावजूद भी, परीक्षा को पास करने की अवधि तब तक मानी जाएगी जब तक कि उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो जाता है।

- 12. किसी 'कंसर्न' के संविधान में परिवर्तन —(1) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसको कि लाइसेन्स जारी किया गया हो या जिसके पक्ष में ऐसा लाइसेन्स जारी किया गया हो और वह व्यक्ति कोई फर्म या कम्पनी न हो, अपने कंसर्न को किसी फर्म या कम्पनी के रूप में बदल देता है तो ऐसी नई फर्म या कम्पनी, इन विनियमों के अनुसार, जब तक लाइसेन्स जारी नहीं हो जाता है, तब तक वह प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से ऐसे किसी कर्मचारी के माध्यम से, जो कि विनियम 6 के अनुसार विधिवत योग्य हो, कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम कर सकती है।
- (2) इस उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को या उसके पक्ष में जारी लाइसेन्स उक्त व्यक्ति की मृत्यु के कारण लागू नहीं रह जाता है, तो वहाँ उसका विधिक उत्तराधिकारी, जो कि वयस्क हो और विनियम 13 के उप-विनियम (5) में संदर्भित जी-कार्ड धारक हो, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम कर सकता है, और ऐसे विधिक उत्तराधिकारी को वास्तविक लाइसेंसधारी की मृत्यु की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास करना जरूरी होगा:

बशर्ते कि जहां किसी फर्म, कंपनी या एसोसिएशन का कोई जी-कार्ड धारक उक्त दो वर्षों की अविध के भीतर, विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा में बैठ जाता है वहाँ उक्त दो वर्षों की अविध के समाप्त होने के बावजूद उक्त परीक्षा पास करने की अविध तबतक मानी जाएगी जब तक की उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो जाता है: बशर्ते और भी कि जहां ऐसा जी-कार्ड धारक विनियम 5 में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता को पूरा नहीं करता है, वहाँ उसे केवल तभी रियायत दी जा सकेगी यदिउस जी-कार्ड धारक के पास वास्तविक लाइसेन्सधारी की मृत्यु की तारीख से कम से कम पाँच वर्ष पहले से जी-कार्ड हो।

- 13. व्यक्ति को काम के लिए अनुबंधित करना या उसे रोजगार देना —(1)ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कि विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा पास कर ली है इन विनियमों के अंतर्गत किसी फर्म या कंपनी की ओर से कस्टम्स से माल के क्लियरेंस से संबन्धित कार्य को करने के लिए अपने को लगा सकता है.
- (2) कस्टम ब्रोकर, जिसको विनियम 7 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत लाइसेन्स जारी किया जा चुका हो, को उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा फार्म-एफ में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जायेगा:

बशर्ते कि विनियम 7 के उप-विनियम (2) के उप-वाक्य (ख) के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेन्स के मामले में फार्म-एफ में फोटो पहचान-पत्र उसी व्यक्ति या उन्ही व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जिन्होंने विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को वास्तव में पास किया हो।

(3) कोई भी कस्टम्स ब्रोकर अपने कारोबार की तादात को देखते हुए अपनी मदद के लिए एफ कार्ड धारक से भी भिन्न किसी व्यक्ति को विश्वसनीय, स्वतंत्र व प्रामाणिक दस्तावेजों, आंकड़ों और सूचनाओं का प्रयोग करते हुये उसके पूर्वावृत्त और घोषित पते पर उसकी पहचान का सत्यापन करने के बाद अपने काम में लगा सकता है:

बशर्ते कि इस प्रकार काम में लगाए गए व्यक्ति के पास उसको जारी किया गया आधार नंबर होऔर इस प्रकार काम पर लागाए गए व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या समकक्ष होनी चाहिए ।

- (4) उप-विनियम (3) में संदर्भित किसी व्यक्ति की नियुक्ति उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो,के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही की जा सकती है जोकि अपना अनुमोदन देते समय ऐसे व्यक्ति के पूर्ववृत्त और उसके चरित्र से संबन्धित अन्य सूचनाओं पर भी विचार करेगा।
- (5) उप-विनियम (3) में संदर्भित व्यक्ति उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिकतम चार प्रयासों में पास करना होगा और यह परीक्षा इस प्रकार की होगी जिससे कि ऐसे व्यक्ति की उस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में पर्याप्त जानकारी का पता चल सके जिसके तहत कस्टम्स से सामानों और बेग्गेज को क्लियर किया जाता हो और परीक्षा पास करने के बाद व्यक्ति को उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा फार्म-जी में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जायेगा।
- (6) उप-विनियम (5) में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसा जी-कार्ड धारक जिसे कस्टम्स ब्रोकर द्वारा काम पर लगाया गया हो, उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के अनुमोदन से या उसके द्वारा आपित्त न किए जाने पर, किसी अन्य कस्टम्स ब्रोकर के अंतर्गत काम पर लगाया जाता है, तो उसे ऐसी परीक्षा को पास करने से छूट प्राप्त होगी।
- (7) कोई भी कस्टम्स ब्रोकर केवल किसी ऐसे कर्मचारी को ही 'बिल ऑफ एंट्री' शिपिंग बिल्स, उससे जुड़े अनुबंध, और अन्य कागजातों, जो कि इस अधिनियम की प्रक्रियाओं या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में तैयार किए गए हों, पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जिसको कि फार्म-एफ या फार्म-जी, जैसी भी स्थिति हो, में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया हो।
- (8) जहां कि किसी कस्टम्स ब्रोकर ने उप-विनियम (7) के अनुसार अपनी ओर से अपने कारोबार से संबंधी कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने लगाए गए व्यक्ति को प्राधिकृत किया है तो वह प्रत्येक कस्टम्स स्टेशन के उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित प्राधिकार-पत्र देगा और यदि इस प्राधिकार पत्र में कोई संशोधन होता है या उसको वापस लिया जाता है तो वह उसकी तत्काल लिखित सूचना देगा।

(9) उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, फार्म-एच में कस्टम्स ब्रोकर के द्वारा लगाए गए प्रत्येक व्यक्ति को फोटो-पहचान पत्र जारी करेगा, यदि उन्होंने उप-विनियम (4) में संदर्भित परीक्षा पांच साल में भी पास न की हो:

बशर्ते की ऐसे व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हता कम से कम 10+2 हो।

- (10) ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इस विनियम के अंतर्गत फोटो-पहचान पत्र जारी किया गया हो, कस्टम स्टेशन पर काम करने के समय उसे हमेशा अपने पास रखेगा और कस्टम्स स्टेशन के किसी भी अधिकारी के द्वारा जांच हेतु मांगे जाने पर उस प्रस्तुत करेगा।
- (11) यदि ऐसे व्यक्तियों में, जिनको कि एफ-कार्ड या जी-कार्ड या एच-कार्ड जारी किया गया हो और जिनको लाइसेन्स प्राप्त फर्म या कंपनी की ओर से काम करने के लिए वास्तव में लगाया गया हो, कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त फर्म या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क को इसकी जानकारी देगी और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिनके पास एफ, जी या एच कार्ड न हो,को उक्त फर्म या कंपनी के विधिवत कर्मचारी के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी।
- (12) कस्टम्स ब्रोकर इस प्रकार की निगरानी रखेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसके कर्मचारी उसका कार्य सही ढंग से करते हैं, और उनके रोजगार के दौरान उनके किसी भी कार्य या चूक के लिए वह कस्टम्स ब्रोकर ही जिम्मेदार होगा। .
- **14**. **लाइसेन्स का वापस लिया जाना या दण्ड का लगाया जाना**.—विनियम 17 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क निम्न में से किसी भी आधार पर किसी कस्टम्स ब्रोकर के लाइसेन्स को वापस ले सकता है और उसकी सम्पूर्ण प्रत्याभृति को या उसके किसी भाग को जब्त कर सकता है, यथा :—
- (क) विनियम 8 के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादित बंध-पत्र की किसी शर्त का पूरा न हो पाना;
- (ख) अपने कार्य क्षेत्र में या अन्य कहीं भी इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों का पूरा न हो पाना;
- (ग) अपने कार्य क्षेत्र में या अन्य कहीं भी ऐसा कदाचार करना, जोकि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क की राय में कस्टम्स स्टेशन के किसी कार्य के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होता हो;
- (घ) उसे दीवालिया निर्णीत कर दिया गया हो;
- (ङ) वह मंद बुद्धि का हो; और
- (च) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसे अपराध का दोषी करार दिया गया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टता या अन्य कोई बात शामिल हो।
- 15. निषेध.—इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूदप्रधान आयुक्त या आयुक्त, उनसे भिन्न जो विनियम 7 में संदर्भित हैं, किसी कस्टम्स ब्रोकर को उस समय किसी कस्टम स्टेशन के एक या एक से अधिक हिस्से में काम करने से मना कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे कस्टम्स ब्रोकर ने विनियम 10 में निर्धारित अपने दायित्वों का, जो कि उस हिस्से से संबन्धित हों, का निर्वाह नहीं किया है:

बशर्ते कि वह अवधि जिसके लिए किसी कस्टम्स ब्रोकर को एक या एक से अधिक किसी कस्टम्स स्टेशन में काम करने से मना कर दिया गया है, ऐसे निषेध की तारीख से एक माह से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते और भी कि किसी कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेन्स इस प्रकार के निषेध के कारण आस्थगित हो जाता है तो विनियम 16 में निर्दिष्ट अवधि की गणना ऐसे आस्थगन की तारीख से की जाएगी। **16**. **लाइसेंस का आस्थगन**.—(1) विनियम 14 में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क ऐसे उपयुक्त मामलों में जिसमें कि तत्काल कारवाही करने कि जरूरत हो, किसी कस्टम्स ब्रोकर के लाइसेन्स का उस समय आस्थगित कर सकता है, जहां ऐसे कस्टम्स ब्रोकर के खिलाफ कोई जांच चल रही हो या चलाये जाने का विचार हो:

बशर्ते कि जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क उचित समझे, अपने कारणों को लिखित में दर्ज कराते हुये किसी भी निर्दिष्ट संख्या में कस्टम्स स्टेशनों के लिए लाइसेन्स को आस्थगित कर सकता है।

(2) जहां कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत किसी लाइसेन्स को आस्थिगित किया जाता है, वहाँ प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे आस्थिगन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उस कस्टम्स ब्रोकर को, जिसके लाइसेन्स का आस्थिगन हो गया है, सुनवाई का मौका देगा और कस्टम्स ब्रोकर को दी गई सुनवाई की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर लाइसेन्स के स्थिगन को वापस लिए जाने या स्थिगन को जारी रखने का, जैसा वह उचित समझे, आदेश देगा:

बशर्ते कि यदि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, आस्थगन को जारी रखने का आदेश देता है तो इसके आगे की प्रक्रिया वह होगी

जो कि विनियम 17 में दी गयी है।

- 17. लाइसेन्स को वापस लेने या दण्ड लगाए जाने की प्रक्रिया.— (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क अपराध से संबिन्धित रिपोर्ट के प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर संबिन्धित कस्टम्स ब्रोकर को लिखित में नोटिस जारी करेगा जिसमे उस आधार को बताया गया होगा जिस आधार पर उक्त कस्टम्स ब्रोकर के लाइसेंस को वापस लिए जाने या उस पर दण्ड लगाए जाने का प्रस्ताव है और उससे कहा जाएगा कि वह नब्बे दिन के भीतर अपने द्वारा नामित उप- आयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क को अपने बचाव में लिखित बयान दे और वह उक्त बयान में यह स्पष्ट करे कि क्या वह उक्त उप-आयुक्त, सीमाशु ल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क के यहाँ अपनी व्यक्तिगत सुनवाई की इच्छा रखता है या नहीं।
- (2) आयुक्त, सीमा शुल्क कस्टम्स ब्रोकर से लिखित बयान प्राप्त करने के पश्चात या जहां कि उप-विनियम (1) में संदर्भित नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी बयान के न प्राप्त होने पर उप-आयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को निर्देश दे सकता है कि वे उन आधारों के बारे में जांच करें जो कि उक्त कस्टम्स ब्रोकर को स्वीकार्य नहीं हैं।
- (3) उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जैसी भी स्थिति हो, जांच कार्यके दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्यों को भी ध्यान में रखेगा जो कि उन आधारों से संबन्धित जांच में प्रासंगिक या सारवान होंगे जिन पर यह कार्यवाही चल रही हो और वह सही स्थिति का पता लगाने के लिए कस्टम्स ब्रोकर के पक्ष मेंया उसके खिलाफ साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।
- (4) कस्टम्स ब्रोकर को यह अधिकार होगा कि वह कार्यवाही के आधार के समर्थन में पूछेजाने वाले व्यक्तियों से प्रति-प्रश्न कर सकता है और जहां उप-आयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इस आधार पर कि उसका आधार प्रासंगिक या सारवान नहीं है, किसी व्यक्ति से प्रति-प्रश्न किये जाने की अनुमित नहीं देता है वहाँ वह ऐसा करने के कारण को लिखित रूप में दर्ज करेगा।.
- (5) जांच के पूरा हो जाने पर उप-आयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसीभी स्थिति हो, जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसमें अपने निष्कर्षों को लिखने के बाद उप-विनियम (1) में जारी किए गए नोटिस की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उक्त रिपोर्ट को सौंप देगा।
- (6) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क कस्टम्स ब्रोकर को उप-आयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, की उक्त रिपोर्ट को उपलब्ध कराएगा और उक्त कस्टम्स ब्रोकर को कहेगा कि वह विनिर्दिष्ट अवधि, जो कि तीस दिन से कम नहीं होगी,के भीतर उक्त रिपोर्ट के खिलाफ कोई अभ्यावेदन देना चाहे तो दे सकता है।

(7) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क जांच रिपोर्ट और उस पर आए कस्टम्स ब्रोकर के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद उप-विनियम (5) के अंतर्गत उप-आयुक्त,सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा रिपोर्ट के सौंपे जानेकी तारीख से नब्बे दिन के भीतर लाइसेन्स को वापस लेने या उसके स्थगन को जारी रखने,जैसा वह उचित समझे, का आदेश जारी करेगा:

बशर्ते कि लाइसेन्स को वापस लेने का कोई भी आदेश तब तक जारी नहीं किया जासकेगा जब तक कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा कस्टम्स ब्रोकर को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दे दिया जाता है।

(8) जहां कि इन विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही में प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त एफ कार्डधारक विनियम 14 में विनिर्दिष्ट आधार पर दोषी है और उक्त विनियम की दृष्टि से अयोग्य हो गया है तो उक्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त ,सीमा शुल्क जैसा कि विनियम 18 में प्रावधान है, उस पर दंड लगाए जाने का आदेश दे सकता है:

बशर्ते कि जहां कोई भी ऐसा आदेश किसी एफ कार्डधारक के खिलाफ जारी किया गया हो, वहाँ उसे फार्म एफ में जारी किए गए अपने पहचान पत्र को उप-आयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क के पास लौटा देना होगा।

(9) जहां कि अपराध संबंधी कोई रिपोर्ट, आरोप कस्टम्स ब्रोकर, जिसको कि विनियम 7 के अंतर्गत लाइसेन्स जारी किया गया हो, के अतिरिक्त किसी एफ कार्ड धारक के खिलाफ लगाया गया हो, वहाँ विनियम 16 और 17में निर्धारित प्रक्रिया का, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित,वहाँ तक अनुपालन किया जाएगा जहां तक वह प्रक्रिया एफ कार्डधारक के मामले में प्रासंगिक है:

बशर्ते कि जहां इन विनियमों के अंतर्गत केवल किसी जी कार्डधारक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर विचार किया जा रहा हो वहाँ उप-विनियम (8) में संदर्भित प्राधिकारी के स्थान पर उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त के स्तर का अधिकारी उक्त विनियम में उल्लिखित ऐसा आदेशजारी करेगा और साथ ही साथ ऐसे जी कार्ड धारक को ऐसे आदेश से छ माह की अवधि तकइन विनियमों के अंतर्गत काम करने से निषिद्ध कर सकता है।

बशर्ते और भी कि जहां कोई भी ऐसा आदेश किसी जी कार्डधारक के खिलाफ जारी किया गया हो, वहाँ उसे फार्म जी में जारी किए गए अपने पहचान पत्र को उप-आयुक्त,सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के पास लौटा देना होगा।

स्पष्टीकरण— इस विनियम की दृष्टि से अपराध रिपोर्ट से अभिप्राय इन विनियमों के अंतर्गत किसी कस्टम्स ब्रोकर या एफ कार्ड धारक या जी कार्ड धारक, जैसी भी स्थिति हो, के कार्य या लोप से संबन्धित सरसरी जांच और प्रथम दृष्टया उन पर लगाए गए उन आरोपों से है, जिनके कारण उनको इन विनियमों के अंतर्गत कार्य करने से अयोग्य घोषित किया गया हो।

- **18. दण्ड** (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क उस कस्टम्स ब्रोकर या एफ कार्डधारक पर, जो कि इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाता है, पचास हजार रूपये से अधिक का दण्ड लगा नहीं सकता है।
- (2) उप-आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क ऐसे जी कार्ड धारक पर, जिसने कि कस्टम्स ब्रोकर के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही के बारे में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, दस हजार रूपये से अधिक का दंड नहीं लगा सकता है।
- (3) इन विनियमों के अंतर्गत लगाया गया कोई भी दण्ड या की जाने वाली कोई भी कार्रवाई का उस कार्रवाई से कोई मतलब नहीं होगा जो ऐसे कस्टम्स ब्रोकर या एफ कार्ड धारक याजी कार्ड धारक के खिलाफ सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत की जा रही हो।
- 19. अपील— कोई भी कस्टम्स ब्रोकर या एफ कार्डधारक, जिसे विनियम 16 या विनियम 17 के अंतर्गत प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से शिकायत है तो वह इस अधिनियम

की धारा 129 क के अंतर्गत सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण, जिसकी स्थापना उक्त अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई है, में अपील कर सकता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी जी कार्ड धारक, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क के द्वारा पारित किए गए आदेश से शिकायत है तो वह इस अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क ,जैसी भी स्थिति हो, के ऐसे आदेश के खिलाफ आयुक्त, सीमा शुल्क (अपील) के यहाँ अपील कर सकता है, जो ऐसी अपील के दायर किए जाने से दो महीने के भीतर अपील का तेजी से निर्णय करेगा।

- **20. एशोसिएशन की सदस्यता** (1) प्रत्येक कस्टम्स ब्रोकर को ऐसे किसी कस्टम्स ब्रोकर एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी जो पेरेंट कस्टम्स जोन के तहत कस्टम्स स्टेशन में पंजीकृत हो और प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- (2) कोई भी कस्टम्स ब्रोकर एक समय में एक से अधिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकता है।
- (3) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, किसी भी कस्टम्स स्टेशन पर एक से अधिक कस्टम्स ब्रोकर एसोसिएशन को मान्यता प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक एसोसिएशन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या फार्म बी 1 या फार्म बी 2 में जारी किए गए कुल लाइसेंसो की कुल संख्या या फार्म ग में दी गयी सूचना के तीस प्रतिशत से कम न हो।

फॉर्म - क [देखें विनियम 4 का उप-विनियम (2)]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 के तहत कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदक का नाम:-
2.	आवेदक का पूरा पता:-
3.	आधार संख्या:-
4.	आवेदक के एक फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, फर्म के भागीदारों या कंपनी के निदेशकों में प्रत्येक का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) और पता:-
5.	आवेदक के एक फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, इसके भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों, जो वास्तव में सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्य करेंगे, का नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन):-
6.	ऐसे व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता, जो वस्तुतः कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करेंगे:-
7	कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1984 के विनियम 9 या कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004 के विनियम 8 या कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2013 के विनियम 6 या कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2013 के विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा में आवेदक द्वारा किए गए प्रयासों की कुल संख्या:-
	घोषणा:
(क)	मुझे अंग्रेजी/स्थानीय भाषा()/हिंदी का ज्ञान है।

(ख)	मैंने कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के लिए पहले आवेदन नहीं किया है और न ही ऐसा कोई आवेदन अस्वीकार/स्वीकार किया गया है।
(ग)	फर्म या कंपनी, जिनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी नियुक्त किया गया है, के पास पहले कस्टम हाउस लाइसेंसिंग विनियमन, 1984, कस्टम हाउस लाइसेंसिंग विनियमन, 2004 या कस्टम हाउस लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 या इनके विनियमों के तहत कस्टम हाउस एजेंट या कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंस है और इसे रद्द या निलंबित किया गया था/रद्द या निलंबित नहीं किया गया था।
(ঘ)	अधोहस्ताक्षरी/मेरे द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, (1944 का 1) तथा वित्त अधिनियम, 1994 के किसी भी प्रावधान के तहत दंडित, दोषी नहीं ठहराया गया है या मुकदमा चलाया नहीं गया है।

कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन, 2018 के विनियम 6 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची:

क्र. सं.	शैक्षणिक	वित्तीय
1.		
2.		
3.		
4.		

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन, 2018 को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

तिथि: आवेदक के हस्ताक्षर

[भाग II-खण्ड 3(i)]

फ़ॉर्म - बी 1 [**विनियमन 7 (2) (क) देखें**] क्रस्टम बोकर (एल-आई) के लिए लाइसेंस

व	क्स्टम ब्रोकर (एल-आई) के लि	ाए लाइसेंस	
		लाइसेंस सं	
			. तक वैध है
श्री/श्रीमती पत	Τ	को एतदृद्वारा इस लाइरे	वेंस में
दी गई सभी शर्तों के अधीन पूरे भारत में सीमा शुल्क ब्रोकर का नमूना हस्ताक्षर:	· ·	-	ा जाता है।
जारी करने वाला सीमा शुल्क स्टेशन:			
	सीमा शुल्क के प्रधान	न आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर(ग्	<u> नु</u> हर सहित)

जारी करने की तारीख:

लाइसेंस की शर्तें

यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया गया है:

(क) लाइसेंसधारी, -

जारी करने की तारीख:

- 1. किसी अन्य व्यक्ति को न लाइसेंस बेचेगा अथवा न उसका हस्तांतरण करेगा।
- 2. प्रत्येक कंपनी, फर्म या व्यक्तियों से अधिकार पत्र प्राप्त करेगा,जिनके द्वारा वह तत्समय के लिए सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्यरत है और जब भी उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा मांगा जाए, उस अधिकार पत्र को दिखाएगा।
- 3. सीमा शुल्क स्टेशन में या तो व्यक्तिगत रूप से या उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा नामित कर्मचारी के माध्यम से व्यापार करेगा।
- 4. लाइसेंस खो जाने की स्थिति में, तुरंत ही सीमा शुल्क आयुक्त को रिपोर्ट करेगा।
- 5. यह सुनिश्चित करेगा कि वह कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपने कर्तव्य का बहुत तेजी से और दक्षता के साथ और बिना किसी विलंब के निर्वहन करता है।
- 6. सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 के विनियम 10 में विनिर्दिष्ट दायित्वों का अनुपालन करेगा।
- (ख) यह लाइसेंस जारी होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 लाइसेंसिंग के विनियम 9 के उप-विनियम (2) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर नवीकृत किया जाएगा।

फ़ॉर्म- बी 2 [विनियमन 7 (2) (ख) देखें] कस्टम ब्रोकर (एल-ओ) के लिए लाइसेंस

	लाइसेंस नं
	तक वैध है
दी गई सभी शर्तों के अधीन पूरे भारत में सीमा शु	को एतदृद्वारा इस लाइसेंस में गुल्क ब्रोकर के रूप में व्यापार करने के लिए अधिकृत किया जाता है। इसके ब्रोकर का कार्य निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के माध्यम से किया
व्यक्ति(यों)का नाम	नमूना हस्ताक्षर
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
जारी किए जाने वाला सीमा शुल्क स्टेशन:	
	प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

लाइसेंस की शर्तें

यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया गया है:

- (क) लाइसेंसधारी, -
- 1. किसी अन्य व्यक्ति को न लाइसेंस बेचेगा अथवा न उसका हस्तांतरण करेगा।
- 2. प्रत्येक कंपनी, फर्म या व्यक्तियों से अधिकार पत्र प्राप्त करेगा,जिनके द्वारा वह तत्समय के लिए सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्यरत है और जब भी उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा मांगा जाए, उस अधिकार पत्र को दिखाएगा।
- 3. सीमा शुल्क स्टेशन में या तो व्यक्तिगत रूप से या उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा नामित कर्मचारी के माध्यम से व्यापार करेगा।
- 4. लाइसेंस खो जाने की स्थिति में, तुरंत ही सीमा शुल्क आयुक्त को रिपोर्ट करेगा।
- 5. यह सुनिश्चित करेगा कि वह कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपने कर्तव्य का बहुत तेजी से और दक्षता के साथ और बिना किसी विलंब के निर्वहन करता है।
- 6. सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 के विनियम 10 में विनिर्दिष्ट दायित्वों का अनुपालन करेगा।
- (ख) यह लाइसेंस जारी होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 लाइसेंसिंग के विनियम 9 के उप-विनियम (2) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर नवीकृत किया जाएगा।

फॉर्म - सी [विनियम 7 के उप-विनियम (3) देखें]

किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन पर काम करने के लिए कस्टम ब्रोकर द्वारा दी गई सूचना

1.	सीमा शुल्क ब्रोकर का नाम: -
2.	आधार संख्या:-
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):-
4.	सीमा शुल्क ब्रोकर का पूरा पता:-
5.	सीमा शुल्क ब्रोकर का लाइसेंस नंबर और जारी करने वाला कस्टम हाउस:-
6.	आवेदक के एक फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, फर्म के भागीदारों या कंपनी के
	निदेशकों में प्रत्येक का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) और पता:-
7.	आवेदक के एक फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, इसके भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों, जो
	वास्तव में सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्य करेंगे, का नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन):-
8.	प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, जो वास्तव में कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करेंगे:-

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन, 2018 को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

	आवदक (आवदका) क हस्ताक्षर
तारीखः	

फ़ॉर्म-डी [विनियम 8 देखें]

20..... का बॉन्ड नं.

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि हम भारत के राष्ट्रपति से रूपये की भुगतान राशि के लिए पूर्णत: समर्पित
तथा बाध्य हैं जिससे हम अपने आप को तथा हममें से प्रत्येक तथा हमारा प्रत्येक उत्तराधिकारी, कार्य निष्पादक तथा प्रशासक
इस दो हजार के वर्ष मेंतारीख को बाध्य हैं।
इस दा हजार
त्रत्यक देव सारा उपयुक्तअयेषा उसके कमें यारिया द्वारा मारत के सिट्टपात की मुगतान नहीं करते हे ता यह लिखित बांड रद्द हो जाएगा; अन्यथा यह पूर्ण प्रभाव से प्रवृत्त रहेगा तथा एतदद्वारा यह सहमति की जाती है और उद्घोषित
किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के लिए सदभाव में जमा उपर्युक्त 5,00,000/-रुपये (पांच लाख रूपए केवल) की राशि को उपर्युक्तया उसके उपरोक्त कर्मचारियों के गलत आचरण अथवा लापरवाही के कारण
कवल) का राशि का उपयुक्तया उसके उपराक्त कमचारिया के गलत आचरण अयवा लापरवाहा के कारण भारत के राष्ट्रपति को तथा सरकार को देय धनराशि को प्रतिपूर्ति हेतु उपर्युक्त समग्र तथा प्रत्येक राशि का आहरण कर सकते हैं।
एतदद्वारा यह सहमित की जाती है कि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये केवल) की उपर्युक्त राशि उपर्युक्ततारीख के बाद बारह कैलेंडर वर्षों तक भारत के राष्ट्रपित के पास रहेगी जिसके बाद उपर्युक्त
वर्षतारीख को उपर्युक्त के नामों में निम्न गवाहों
की मौजूदगी में हस्ताक्षर, मुहर तथा प्रेषित।
1
भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा के लिए स्वीकृत
प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर (मुहर सहित)
दिनांक:

फ़ॉर्म- ई

[विनियमन 8 देखें]

20.....की प्रतिभू बंधपत्र संख्या.....

20	का		. संख्यांक	इन	विलेखों	द्वारा	यह	सभी	को	ज्ञात	हो	कि	हम
(क)		और		(ख))	भ	ारत के	राष्ट्रपति	के प्रति	5,00,0	000/-	रूपये ((पांच
लाख रूपये)	का संदाय करने	के लिए वच	नबद्ध और	आबद्ध	हैं जिसका	संदाय व	करने क <u>े</u>	लिए हम	म और	हम में र	ने प्रत्ये	क स्वयं	को,
अपने को, अ	पने-अपने वारिस	, निष्पादक अ	गौर प्रशासव	क को अ	ाज तारीख					.से आब	द्ध करत	ते हैं।	
जबकि उ	श् त(क)	को र्स	ोमा शुल्क	अधिनि	यम, 196	2 (1962	2 का 52	2) की ध	ारा 1 4	46 के अ	ाधीन ः	उक्त क	स्टम
ब्रोकर के रू	प में कार्य करने वे	के लिए प्राधि	कृत किया	गया है	और उक्त	(ख	Г)	ने	उक्त १	धारा के	अधीन	वनाए	र गए
	। अपेक्षित इस बंध												
अब उक्त लि	नेखित बंधपत्र की	यह शर्त है वि	के यदि उक	त		(क)		दोन	ों सभी	समयों '	पर जब	ाकि कर	स्टम्स
ब्रोकर्स लाइ	सेंसिंग विनियम,	2018 और	अधिकारिय	ों का ज	नहां तक स	बंध है ए	क ईमा	नदार औ	ार अवि	कृत ढंग	ा में स्व	वयं व्यव	त्रहार
करते हुए य	थोक्त ऐसे प्राधि	कार को धार	ण किए हुए	रु और [ः]	उक्त		(क) ^ड	और		(ख	₮)		
उनके निष्पा	दकया प्रशासक र	उनमें से कुछ	या एक भा	ारत के	राष्ट्रपति क	ने ऐसी स	ाभी और	र प्रत्येक	धनरा	शे का ज	नो सर	कार को	देय
होने पर, उब	≀ त	(क)	j	के अपक	रण या उस	ाकी उपेक्ष	ा के का	रण भार	त के र	ाष्ट्रपति	को संद	स्त नई	ों की
गई है, हर स	ामय प्रतिपूर्ति करें	तो उक्त लि	खित बंधपः	त्र शून्य	हो जाएगा	; अन्यथा	यह बंध	पत्र पूर्ण	त: प्रवृत	ति और	बलशीव	त रहेग	ТΙ
उक्त नामित	ा व्यक्तियों द्वारा	गवाहों की उप	पस्थिति में	हस्ताक्ष	रित, मुहर	ांकित औ	र सुपुर्द '	किया ग	या ।				
1													
2													
							20		क्के	TOT -		 -	 ,
			आज ताः	राख					.मर सम	नद्मान्य	भादत	।कथा •	गया।

प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

फ़ॉर्म-एफ [विनियम 13 के उप-नियम (2) देखें] पहचान पत्र

	सीमा शुल्क ब्रो	कर लाइसेंस नंबर
मेसर्स/श्री/सुश्री:		<u>पहचान कार्ड</u>
पदनाम (मालिकाना, भागीदार, निदेशक, कर्मचारी): स्थायी खाता संख्या (पैन)):		फोटो जिस पर उप/ सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर और मुहर लगी हो
आधार संख्याः कहां जारी किया गयाः कब तक वैध हैः कस्टम ब्रोकर का नामः		36 / 141 61
कस्टम ब्रोकर का प्रकार (स्वामित्व/फर्म/प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड/अन्य)		
सीमा शुल्क ब्रोकर का नमूना हस्ताक्षर: मैंनेसीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग उत्तीर्ण की है। (कस्टम ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली फोटो)	ा विनियम, 2018 के विनियम 6 के तः उप/सहायक सीमा शुल्क आयुः	
		तक के लिए वैध फोटो जिस पर उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर तथा मुहर लगी हो
के श्री/सुश्री को को कर्मचारी के रूप में इस कार्यालय की बहियों	के श्री/सर्वश्री/सुश्री/मैसर्स में पंजीकृत किया गया है, जिसे उसे.	
ारा ना रा तर रात न रा नगमाराम नग भारुमा	म प्रभावृत्त भिष्या गया है, जिस उस	जनात्र अस्य असम्बद्धाः । असम्बद्धाः ।

ओर से सीमा शुल्क् स्टेशन पर व्यापार करने के लिए	· · · ·
दिनांक से वर्षों की अवधि के लिए या	
जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, व्यापार करने की अनुमति दी जाती	
उसने कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन 2018 के विनियम 13 के उप है।	-विनियम (5) के तहत आयोजित परीक्षा पास कर ली
कर्मचारी के नमूना हस्ताक्षरः	
कर्मचारी का स्थायी खाता संख्या (पैन):	
कस्टम ब्रोकर का नामः	
कस्टम ब्रोकर की लाइसेंस संख्याः	
कस्टम स्टेशन:	
दिनांक 20	
उप	/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर(मुहर सहित)
9,	
(कस्टम ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली फोटो)	
फॉर्म – एच	
[विनियमन का उप-विनियम	न (9) देखें]
	तक के लिए वैध
पहचान-सह-प्राधिका	र पत्र
के श्री/सुश्री को कस्टम ब्रोकर या उस लिए श्री/सर्वश्री/सुश्री/मैसर्स(कस्टम ब्रोकर लाइसेंस नं कार्यालय की पुस्तकों में पंजीकृत किया गया है।	
यह पहचान पत्र लाइसेंस जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि रद्द किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए वैध है।	तक या उसके प्रमुख को जारी किए गए लाइसेंस को
कर्मचारी का नमूना हस्ताक्षरः	
सीमा शुल्क ब्रोकर का नामः	
कस्टम स्टेशन:	
दिनांक 20	
उप	/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर(मुहर सहित)
(कस्टम ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली फोटो)	
	[एफ. संख्या 520/07/2013-सीमा शुल्क VI]
	् . बि .कोंथौजम, अवर सचिव,
	ाच नामचाचा, अच् \ा अच,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2018

No. 41/2018-Customs (N.T.)

G.S.R. 451 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013, published *vide* number G.S.R. 395 (E), dated the 21st June, 2013, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title, commencement and application. —

- 1. These regulations may be called the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018.
- 2. They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 3. These regulations shall apply to, a Customs Broker who has been licensed and such other persons who have been employed or engaged by a licensed Customs Broker under these regulations or the Customs House Agents Licensing Regulations, 1984 or the Customs House Agents Licensing Regulations, 2004 or the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013.
- 4. Every license granted or renewed under these regulations shall be deemed to have been granted or renewed in favour of the licensee, and no license shall be sold or otherwise transferred.
- **2. Definitions.**—(1)In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - (季) "Aadhaar number" means an identification number issued to an individual under sub-section (3) of section 3 of The Aadhaar(Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);
 - (ख)"Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - (ग) "company" means a company as defined in the Companies Act, 2013(18 of 2013);
 - (ঘ) "Customs Broker" means a person licensed under these regulations to act as an agenton behalf of the importer or an exporter for purposes of transaction of any business relating to the entry or departure of conveyances or the import or export of goods at any Customs Station including audit;
 - (इ) "firm", "firm name", "partner" and "partnership" shall have the same meanings respectively assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression "partner" shall also include any person who, being a minor, has been admitted to the benefits of partnership;
 - (च) "Form" means the form appended to these regulations;
 - (ন্ত্ৰ) "F card holder" means a person who has passed the examination referred to in regulation 6 and has been issued a photo identity card in Form F;
 - (ज) "G card holder" means a person who has passed the examination referred to in regulation 13 and has been issued a photo identity card in Form G;
 - (झ) "H card holder" means a person who has not passed the examination referred to in regulation 13 and has been issued a photo identity card in Form H;
 - (অ) "PAN" is the Permanent Account Number issued under section 139A of the Income Tax Act, 1961(43 of 1961);
 - (z) "GSTIN" means a 15 digit state-wise PAN- based Goods and Services Tax Identification Number assigned at the time of issue of Goods and Services Tax registration certificate.
 - (ठ) "section" means a section of the Act.
- (2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the said Act.
- **3.** Customs Brokers to be licensed.—No person shall carry on business as a Customs Broker relating to the entry or departure of a conveyance or the import or export of goods including work relating to auditat any Customs Station unless such person holds a license granted under these regulations:

Provided that no license under these regulations shall be required by-

- (a) an importer or exporter transacting any business at a Customs Station solely on his own account;
- (b) any employee of any person or a firm transacting business generally on behalf of such person or firm, and holding an identity card or a temporary pass issued by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be; and

- (c) an agent employed for one or more vessels or aircrafts in order solely to enter or clear such vessels or aircrafts for work incidental to his employment as such agent.
- **4. Invitation of application.**—(1) The Directorate General of Performance Management (DGPM) shall in the month of April of every year invite applications for conducting examination and subsequent grant of license to act as Customs Broker in Form A by publication in two leading national daily newspapers in English and Hindi in addition to disseminating the information on the web portal.
 - (2) The application for a license to act as a Customs Broker in a Customs Station in Form A along with a fee of five hundred rupeesshall be made to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry on his business.
- **5.** Conditions to be fulfilled by the applicants.—(1) The applicant for a license to act as a Customs Broker in a Customs Station, shall before applying to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, meet the following conditions that:
 - a. he is a citizen of India;
 - b. he is a person of sound mind;
 - c. he is not adjudicated as insolvent;
 - d. he holds an Aadhaarnumber:
 - e. he holds a valid PAN card;
 - f. he has not been penalised for any offence under the Act, the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Finance Act, 1994(32 of 1994), the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017) and Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017);
 - g. he has neither been convicted by a competent court for an offence nor any criminal proceeding is pending against him in any court of law;
 - h. an individual applicant or in case the applicant is a firm, its partner or in the case of a company, its director or an authorised employee who may handle the Customs work shall
 - i. be a graduate from a recognized University; and
 - ii. possess a professional degree such as Masters or equivalent degree in Accounting, Finance or Management, CA/CS/MBA/LLM/ACMA/FCMA or Diploma in Customs Clearance work from any Institutes or University recognised by the Government oris having at least two years' experience in transacting Customs Broker work as G-Card holder;
 - (i) the applicant has financial viability as evidenced by a certificate issued by a Scheduled Bank or such other proof acceptable to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, in terms of possession of assets of value of not less than five lakhs rupees.
- (2) A retired Group A officer from the Indian Revenue Service(Customs and Central Excise)having a minimum of five years' experience in Group 'A' post shall also be eligible to apply for a license to act as a Customs Broker provided he satisfies the conditions specified at (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (i)of sub-regulation (1) above.
- (4) The Principal Commissioner or Commissioner of Customs, as the case may be, may for the purpose of this regulation, make such enquiries to verify the eligibility of the applicant as he may deem fit before forwarding the application to Directorate General of Performance Management.
- **Examination of the applicant.** —(1) An applicant, who satisfies the requirements of regulation 5, shall be required to appear for a written (preferably online) as well as oral examinationconducted by the Directorate General of Performance Management:

Provided that an applicant who has already passed the examination referred to in regulation 9 of the Custom House Agents Licensing Regulation, 1984 or regulation 8 of the Custom House Agents Licensing Regulation, 2004 or regulation 6 of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013 shall not be required to appear for any further examination.

- (2) The written examination shall be conducted on specified dates in the month of January of each year for which intimation shall be sent individually to applicants in advance before the date of examination and the result of the said examination shall be declared by end of May each year.
- (3) The applicant who is declared successful in the written examination shall be called for an oral examination on specified dates in the month of June of each year, the result of which shall be declared in the month of July of each year.

- (4) The applicant shall be required to clear both the written examination as well as corresponding oral examination.
- (5) An attempt at the written exam shall be deemed to be an attempt and notwithstanding the disqualification/cancellation of application, the fact of appearance of the applicant at the examination will count as an attempt.
- (6) An applicant shall be allowed a maximum of six attempts to clear the examination.
- (7) The examination may include questions on the following:
 - (a) preparation of various kinds of bills of entry, bills of export, shipping bills, and other clearance documents;
 - (b) arrival entry and clearance of vessels;
 - (c) tariff classification and rates of duty;
 - (d) determination of value of imported and export goods;
 - (e) conversion of currency;
 - (f) nature and description of documents to be filed with various kinds of bills of entry, shipping bills and other clearance documents;
 - (g) procedure for assessment and payment of duty including refund of duty paid;
 - (h) examination of goods at Customs Stations;
 - (i) prohibitions on import and export;
 - (j) bonding procedure and clearance from bond;
 - (k) re-importation and conditions for free re-entry;
 - (1) drawback and export promotion schemes including the Special Economic Zone scheme;
 - (m) offences under the Act;
 - (n) provisions of the allied Acts including the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017) and section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Destructive Insects and Pests Act 1914 (2 of 1914), the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930), the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Copy Right Act, 1957 (14 of 1957), the Trade and Merchandise Marks Act 1958 (43 of 1958), the Arms Act 1959 (54 of 1959), the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Foreign Trade (Development and Regulations) Act, 1992 (22 of 1992), the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Design Act, 2000 (16 of 2000) and the Food Safety and Standard Act, 2006 (No. 34 of 2006) and other laws for the time being in force applicable to EXIM trade and the rules and regulations made under these Acts in so far as they are relevant to clearance of goods through Customs;
 - (o) provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1998);
 - (p) procedure for appeal and revision applications under the Act; and
 - (q) online filing of electronic bills of entry and shipping bills vide the Indian Customs and Central Excise Electronic Commerce or Electronic data interchange gateway (ICEGATE) and Indian Customs Electronic data Interchange System (ICES).
 - (r) knowledge of regulations, rules, notifications, etc. under the Customs Act and other Allied Acts.
 - (8) The Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs shall satisfy himself that the individual applicant or in cases where applicant is a firm or company, its partner or Director or authorised employees who may

be engaged for handling the customs work shall possess satisfactory knowledge of English and the local language of the Customs Station:

Provided that in case of a person deputed to work extensively in the docks, knowledge of English shall not be compulsory and knowledge of Hindi shall be considered as desirable qualification.

7. Grant of License.—(1)The applicant who has passed the written as well asoral examination shall make a payment of a fee of five thousand rupees within two months of the declaration of the results of the oral examination and inform the payment particulars to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs referred to in subregulation (2) of regulation 4 and the said Principal Commissioner or Commissioner shall, on verification of the payment particulars grant license to the applicant within one month of the payment of the said fee:

Provided that where the successful applicant fails to make the payment of the said fee within the stipulated period, the right to be granted a license to an applicantshall be forfeited.

- (5) The applicant who has paid the fee referred to in sub-regulation (1) shall be granted a license by the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, as below:—
 - (a) An individual shall be granted the license in FormB1 if that individual has passed the examination referred to in regulation 6.
 - (b) A customs broker's license may be granted to any company, firmorassociationin FormB2 if at least one director, partner, or an authorised employee, as the case may be, has passed the examination referred to in regulation 6:

Provided that at any given time such director, partner or an authorised employee shall not engage himself for transacting business under these regulations on behalf of more than one such firm or company:

Provided further that where a company or a firm which has been granted a license under this regulation undergoes any change in the directors, or managing director or partner, such change shall forthwith be communicated by such licensee to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, within one month of such change:

Provided also that where a company or a firm which has been granted a license under this regulation undergoes any change whereby there is a change in the PAN,the licensee shall apply for a fresh license to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, within sixty days of such change.

- (6) The applicant who has been granted license under sub- regulation (2) shall be eligible to work as Customs Broker in all Customs Stations subject to intimation in Form C to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs of the Customs Station where he intends to transact business and a copy of this intimation shall also be sent to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs who has issued the license in Form B1 or FormB2, as the case may be.
- (7) A customs broker shall be eligible to transact business under these regulations at a customs station which requires intimation under the said Form C, subject to the condition that such customs broker shall be able to transact such business only after a period of two years from the date of issue of license in FormB1 or FormB2:

Provided that the said period of two years shall be waived in respect of a license issued to a customs broker under the respective provisions of the Customs House Agents Licensing Regulations, 1984 or the Customs House Agents Licensing Regulations, 2004 or the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013:

Provided further that the period of two years referred to in sub-regulation (4) shall not be applicable where the intimation under the said Form C is to the Principal Commissioner or the Commissioner of Customs, as the case may be, referred to in sub-regulation (2) of regulation 4.

- **8. Execution of bond and furnishing of security.**—(1) Before granting the license under regulation 7, the Principal Commissioner or Commissionerof Customs shall require the successful applicant to enter into a bond in Form D and where specified a surety bond in Form E for due observance of these regulations and furnish a bank guarantee, or a postal security or National Saving Certificate or a fixed deposit receipt issued by a nationalised bank, in the name of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, for an amount of five lakhs rupees for carrying out the business as a Customs Broker.
- (2) In cases where a postal security or National Saving Certificate or a fixed deposit receipt is furnished, the benefit of interest on the instrument shall accrue to the Customs Broker concerned.
- **9. Period of validity of a license.**—(1) A license granted under regulation 7 shall be valid for a period of ten years from the date of issue and shall be renewed from time to time in accordance with the procedure specified in sub-regulation (2):

Provided that the renewal procedure and fees for licenses issued underthe Customs House Agents Licensing Regulations, 1984 or the Customs House Agents Licensing Regulations, 2004 or the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013 shall be in accordance with the procedure specified in sub-regulation (2) and fees specified in sub-regulation (3) respectively:

Provided further that a license granted toa Customs Broker, authorised under the Authorised Economic Operator Programme referred to in Board's Circular No. 28/2012-Customs dated 16.11.2012 or 33/2016-Customs dated 22.7.16, shall not require renewal till such time the said authorisation is valid.

(2) Subject to the provisions of regulation 7, the Principal Commissioner of Commissioner of Customs may, on an application made by the licensee before the expiry of the validity of the license under sub-regulation (1), renew the license for a furtherperiod of ten years from the date of expiration, if the performance of the licensee is found to be satisfactory with reference, *inter alia*, to the obligations specified in this regulation including the absence of instances of any complaints of misconduct within one month of the date of receipt of application.

Provided that where the Customs Broker fails to submit the application for renewal before the expiry of the validity of the license, the Principal Commissioner or Commissioner of Customs may after satisfying himself to the genuineness of the reasons of delay, renew the license upon payment of two thousand rupees as late fee by the Customs broker in addition to the fee for renewal within one month of the date of receipt of application.

(3) The fee for renewal of thelicense shall be fifteen thousand rupees.

10. Obligations of Customs Broker.—A Customs Broker shall —

- (a) obtain an authorisation from each of the companies, firms or individuals by whom he is for the time being employed as a Customs Broker and produce such authorisation whenever required by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;
- (b) transact business in the Customs Station either personally or through an authorised employee duly approved by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;
- (c) not represent a client in any matter to which the Customs Broker, as a former employee of the Central Board of Indirect taxes and Customs gave personal consideration, or as to the facts of which he gained knowledge, while in Government service;
- (d) advise his client to comply with the provisions of the Act, other allied Acts and the rules and regulations thereof, and in case of non-compliance, shall bring the matter to the notice of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;
- (e) exercise due diligence to ascertain the correctness of any information which he imparts to a client with reference to any work related to clearance of cargo or baggage;
- (f) not withhold information contained in any order, instruction or public notice relating to clearance of cargo or baggage issued by the Customs authorities, as the case may be, from a client who is entitled to such information;
- (g) promptly pay over to the Government, when due, sums received for payment of any duty, tax or other debt or obligations owing to the Government and promptly account to his client for funds received for him from the Government or received from him in excess of Governmental or other charges payable in respect of cargo or baggage on behalf of the client;
- (h) not procure or attempt to procure directly or indirectly, information from the Government records or other Government sources of any kind to which access is not granted by the proper officer;
- (i) not attempt to influence the conduct of any official of the Customs Station in any matter pending before such official or his subordinates by the use of threat, false accusation, duress or the offer of any special inducement or promise of advantage or by the bestowing of any gift or favour or other thing of value;
- (j) not refuse access to, conceal, remove or destroy the whole or any part of any book, paper or other record, relating to his transactions as a Customs Broker which is sought or may be sought by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be;
- (k) maintain up to date records such as bill of entry, shipping bill, transhipment application, etc., all correspondence, other papers relating to his business as Customs Broker and accounts including financial transactions in an orderly and itemised manner as may be specified by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;
- (1) immediately report the loss of license granted to him to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be;
- (m) discharge his duties as a Customs Broker with utmost speed and efficiency and without any delay;

- (n) verify correctness of Importer Exporter Code (IEC) number, Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN), identity of his client and functioning of his client at the declared address by using reliable, independent, authentic documents, data or information;
- (o) inform any change of postal address, telephone number, e-mail etc. to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, of all Customs Stations including the concerned Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of the Commissionerate who has granted the licenseimmediately within two days;
- (p) maintainall records and accounts that are required to be maintained under these regulations and preserve for at least five years and all such records and accounts shall be made available at any time for the inspection of officers authorised for this purpose; and
- (q) co-operate with the Customs authorities and shall join investigations promptly in the event of an inquiry against them or their employees.
- 11. Change in constitution of any firm or a company.—(1)In the case of any firm or a company, granted a license under these regulations, any change in the constitution which makes the holding of such license invalid in view of the conditions specified in clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 7 notwithstanding the continued engagement or employment of the person who has passed the examination referred to in regulation 6, then such change shall be reported by such firm or company, as the case may be, to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs forthwith, and any such firm or a company undergoing such change shall make a fresh application to the said Principal Commissioner or Commissioner of Customs within a period of sixty days from the date of such change for the grant of license under regulation 7, and the Principal Commissioner or Commissioner of Customs may, if there is nothing adverse against such firm or company, as the case may be, grant a fresh license.
- (2) The firm or company making an application as referred to in sub-regulation (1) above shall be similarly subject to condition referred to in clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 7:

Provided that if the licensee firm or company moves an application for such changes, then such firm or company may be allowed to carry on business of Customs Broker with the approval of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, till such time a decision is taken on the fresh application of such firm or company.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), in case of any firm or a company where a license has ceased to be in force because of the death or retirement of any partner or director or an authorised employee, who has passed the examination referred to in regulation 6, the firm or the company may apply for replacement of the name of the demised person by the name of another partner, director or authorised employee who has passed the examination referred to in regulation 6:

Provided that if there is no such person in the firm or company, then such firm or company, as the case may be, may authorise any other partner, director or authorised employee who is a G card holder, referred to in sub-regulation (5) of regulation 13, to pass the examination referred to in regulation 6 within a period of two years from the date of the demise or retirement of such person, and the firm or company may be permitted to carry on the business of a Customs Broker with the approval of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be till such time such partner, director or authorized employee passes the said examination.

Provided that where the G-card holder of the firm or company or association has appeared in the written examination referred to in regulation 6 within the said two years, then notwithstanding the expiry of the said two years, the time period to clear the examination shall be deemed to be extended till the declaration of the result of the examination.

- **12.** Change in the constitution of a concern.—(1) Where a license granted or renewed under these regulations in favour of a person, not being a firm or a company, changes constitution of his concernto a firm or a company, such new firm or new company may, pending the grant of a license in accordance with these regulations, be permitted to act as Customs Broker through an employee duly qualified as per regulation 6, with the approval of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where a license granted or renewed under these regulations in favour of a person which hasceased to be in force because of the death of that person, his legal heir, who is a major and a G card holder, referred to in sub-regulation (5) of regulation 13, may be permitted to work as a Customs Broker with the approval of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, and such legal heir shall be required to pass the examination referred to in regulation 6 within a period of two years from the date of demise of the original licensee:

Provided that where the G-card holder of the firm or company or association has appeared in the written examination referred to in regulation 6 within the said two years, then notwithstanding the expiry of the said two years,

the time period to clear the examination shall be deemed to be extended till the declaration of the result of the examination:

Provided further that where such G card holder does not meet the requisite educational qualification as specified in regulation 5, then relaxation shall be allowed only if he has been holding the G card for a minimum of five years prior to the date of demise of the original licensee.

- **13. Engagement or employment of persons.**—(1)A person who has qualified the examination referred to in regulation 6 may engage himself in the work relating to the clearance of goods through customs on behalf of a firm or a company licensed under these regulations.
- 2. A Customs broker who has been issued a license under sub-regulation (2) of regulation 7 shall be issued a photo-identity card in Form F by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be:

Provided that in the case of the license issued under clause (b) of sub-regulation (2)of regulation 7, the photo-identity card in Form F shall be issued to the person or persons who has actually passed the examination referred to in regulation 6.

3. A Customs Broker may, having regard to the volume of business transacted by him, employ any number of persons other than an F card holder to assist him after verifying their antecedents and identity at the declared address by using reliable, independent, authentic documents, data or information:

Provided that such an employed person shall possess the Aadhaar number issued to him and that the minimum educational qualification of such persons so employed shall be 10+2, or equivalent.

- 4. Employment of a person referred to in sub-regulation (3) shall be made only after obtaining the approval of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, who shall in granting approval, take into consideration the antecedents and any other information pertaining to the character of such person.
- 5. The person referred to in sub-regulation (3) shall, within four attempts from the date of his appointment, pass a written examination conducted by the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, and the examination shall be such as to ascertain the adequacy of knowledge of such person regarding the provisions of the Act subject to which goods and baggage are cleared through Customs and the person shall, on passing the examination, be issued a photo-identity card in Form G by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.
- 6. Notwithstanding anything contained in sub-regulation (5), a G card holder who is employed under a Customs Broker may, on his employment under any other Customs Broker, with the approvalor no objection of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, be exempted from passing of such examination.
- 7. A Customs Broker shall authorise only such employee who has been issued a photo identity card in Form F or Form G as the case may be to sign the declaration on the bills of entry, shipping bills, annexure thereof or any other document generated in connection with the proceedings under the Act or the rules or regulations made thereunder.
- 8. Where the Customs Broker has authorised any person employed by him in accordance with sub-regulation (7) to sign documents relating to his business on his behalf, he shall file with the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customsof each Customs Station, as the case may be, a written authority in this behalf and give prompt notice in writing if such authorisation is modified or withdrawn.
- 9. The Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, shall issue a photo-identity card to every person employed by a Customs Broker in Form H in case he has not passed the examination referred to in sub-regulation (4) for a period of five years:

Provided that the minimum educational qualification of such a person shall be 10+2.

- 10. Any person who has been issued a photo identity card under this regulation shall, at all times when he transacts the work at the Customs Station, carry photo identity card with him and produce it for inspection on demand by any officer of the Customs Station.
- 11. Any change in the persons issued a F card or G card or H card and actually engaged in the work in the Customs Station on behalf of a licensee firm or company shall be communicated forthwith by the firm or the company, as the case may be, to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, and no new person other than 'F', 'G' or 'H' card holders, shall be allowed to work in the Customs Station as a duly authorised employee on behalf of that firm or company.
- (a) failure to comply with any of the conditions of the bond executed by him under regulation 8;

- (b) failure to comply with any of the provisions of these regulations, within his jurisdiction or anywhere else;
- (c) commits any misconduct, whether within his jurisdiction or anywhere else which in the opinion of the Principal Commissioner or Commissioner of Customs renders him unfit to transact any business in the Customs Station;
- (d) adjudicated as an insolvent;
- (e) of unsound mind; and
- (f) convicted by a competent court for an offence involving moral turpitude or otherwise.
- **15. Prohibition.**—Notwithstanding anything contained in these regulations, the Principal Commissioner or Commissioner of Customs other than those referred to in regulation 7 may prohibit any Customs Broker from working in one or more sections of the Customs Station, if he is satisfied that such Customs Broker has not fulfilled his obligations as laid down under regulation 10 in relation to work in that section or sections:

Provided that the period for which any Customs Broker may be prohibited from transacting business in one or more of the Customs Stations shall not exceed one month from the date of such prohibition:

Provided further that where the license of the Customs broker is suspended as a consequence to prohibition, the time period specified in regulation 16, shall be reckoned from the date of such suspension.

16. Suspension of license.—(1) Notwithstanding anything contained in regulation 14, the Principal Commissioner or Commissioner of Customs may, in appropriate cases where immediate action is necessary, suspend the license of a Customs Broker where an enquiry against such Customs Broker is pending or contemplated:

Provided that where the Principal Commissioner or Commissioner of Customs may deem fit for reasons to be recorded in writing, he may suspend the license for a specified number of Customs Stations.

(2) Where a license is suspended under sub-regulation (1), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, shall, within fifteen days from the date of such suspension, give an opportunity of hearing to the Customs Broker whose license is suspended and may pass such order as he deemsfit either revoking the suspension or continuing it, as the case may be, within fifteen days from the date of hearing granted to the Customs Broker:

Provided that in case the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, passes an order for continuing the suspension, further procedure thereafter shall be as provided in regulation 17.

- 17. Procedure for revoking license or imposing penalty.— (1)The Principal Commissioner or Commissioner of Customs shall issue a notice in writing to the Customs Broker within a period of ninety days from the date of receipt of an offence report, stating the grounds on which it is proposed to revoke the license or impose penalty requiring the said Customs Broker to submit within thirty days to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs nominated by him, a written statement of defense and also to specify in the said statement whether the Customs Broker desires to be heard in person by the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs.
- (2) The Commissioner of Customs may, on receipt of the written statementfrom the Customs Broker, or where no such statement has been received within the time-limit specified in the notice referred to in sub-regulation (1), direct the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to inquire into the grounds which are not admitted by the Customs Broker.
- (3) The Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, shall, in the course of inquiry, consider such documentary evidence and take such oral evidence as may be relevant or material to the inquiry in regard to the grounds forming the basis of the proceedings, and he may also put any question to any person tendering evidence for or against the Customs Broker, for the purpose of ascertaining the correct position.
- (4) The Customs Broker shall be entitled to cross-examine the persons examined in support of the grounds forming the basis of the proceedings, and where the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs declines permissionto examine any person on the grounds that his evidence is not relevant or material, he shall record his reasons in writing for so doing.
- (5) At the conclusion of the inquiry, the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, shall prepare a report of the inquiry and after recording his findings thereon submit the report within a period of ninety days from the date of issue of a notice under sub-regulation (1).
- (6) The Principal Commissioner or Commissioner of Customs shall furnish to the Customs Broker a copy of the report of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, and shall require the Customs Broker to submit, within the specified period not being less than thirty days, any representation that he may wish to make against the said report.

(7) The Principal Commissioner or Commissioner of Customs shall, after considering the report of the inquiry and the representation thereon, if any, made by the Customs Broker, pass such orders as he deems fit either revoking the suspension of the license or revoking the license of the Customs Broker within ninety days from the date of submission of the report by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, under sub-regulation (5):

Provided that no order for revoking the license shall be passed unless an opportunity is given to the Customs Broker to be heard in person by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(8) Where in the proceedings under these regulations, the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, comes to a conclusion that the F card holder is guilty of grounds specified in regulation 14 or incapacitated in the meaning of the said regulation, then the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs may pass an order imposing penalty as provided in regulation 18:

Provided that where an order is passed against an F card holder, he shall surrender the photo identity card issued in Form F forthwith to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs.

(9) Where in an offence report, charges have been framed against an F card holder in addition to the Customs Broker who has been issued a license under regulation 7, then procedure prescribed in regulations 16 and 17 shall be followed *mutatis mutandis* in so far as the prescribed procedure is relevant to the F card holder:

Provided that where any action is contemplated against a G card holder alone under these regulations, then instead of authority referred to in sub-regulation (8), aDeputy Commissioner or Assistant Commissioner rank officer shall pass such order as mentioned in the said sub-regulation along with debarring such G card holder from transacting the business under these regulations for a period of six months from such order.

Provided further that where an order is passed against a G card holder, then he shall surrender the photo identity card issued in Form G forthwith to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs.

Explanation.—Offence report for the purposes of this regulation means a summary of investigation and prima facie framing of charges into the allegation of acts of commission or omission of the Customs Broker or a F card holder or a G card holder, as the case may be, under these regulations thereunder which would render him unfit to transact business under these regulations.

- **18. Penalty.**—(1)The Principal Commissioner or Commissioner of Customs may impose penalty not exceeding fifty thousand rupees on a Customs Broker or F card holder who contravenes any provisions of these regulations or who fails to comply with any provision of these regulations.
- (2) The Deputy Commissioner or an Assistant Commissioner of Customs may impose penalty not exceeding ten thousand rupees on a G card holder who contravenes any provisions of these regulations in connection with the proceedings against the Customs Broker.
- (3)The imposition of penalty or any action taken under these regulations shall be without prejudice to the action that may be taken against the Customs Broker or F card holder or G card holder under the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other law for the time being in force.
- **19. Appeal.**—A Customs Broker or F card holder, who is aggrieved by any order passed by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, under regulation 16 or regulation 17, may prefer an appeal under section 129A of the Act to the Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 129 of the Act:

Provided that a G card holder aggrieved by any order passed by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs under these regulations may prefer an appeal under section 128 of the Act to the Commissioner of Customs(Appeals) against the orders of the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, who shall proceed to decide the appeal expeditiously within two months of the filing of the appeal.

- **20. Membership of associations.** (1)Each Customs Broker shall enroll himself as a member of the Customs Brokers' Association, if there is one registered in the Customs Station under the Parent CustomsZoneand recognised by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.
- (2) No Customs Broker shall enroll himself in more than one Association at a given time.
- (3) The Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, at any Customs Station, may recognise more than one Customs Broker association provided that the minimum number of members of each such association shall not be less than thirty percent of the total licenses issued in FormB1 or FormB2 or intimation received in the Form C.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

FORM - A

[see sub-regulation (2) of regulation 4]

Application Form for Grant of Customs Broker's License under section 146 of the Customs Act, 1962

1.	Name of the applicant :-
2.	Full address of the applicant :-
3.	Aadhaar Number:-
4.	Names, Permanent Account Numbers (PAN) and address of each of the partners of the firm or the directors of the company, as the case may be, in case the applicant is a firm or a company:-
5.	Name and Permanent Account Numbers (PAN) of its partner/partners or director/directors who will actually be engaged in the work as Customs Broker, in case the applicant is a firm or a company:-
6.	Educational qualification of each of the persons, who may be engaged as Customs Broker:-
7	Total number of attempts the applicant has made in the examination referred to in regulation 9 of the Custom House Agents Licensing Regulation, 1984 or regulation 8 of the Custom House Agents Licensing Regulation, 2004 or regulation 6 of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013 or regulation 6 of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018:-
	Declaration:
(a)	I have working knowledge of English/local language ()/Hindi.
(b)	I have not earlier applied for a license to act as Customs Broker and no such application was rejected/accepted.
(c)	The firm or company by whom the undersigned is employed have earlier held a Customs House Agent or Customs Broker's License under the Customs House Licensing Regulation, 1984, the Customs House Licensing Regulation, 2013or these regulations and it was cancelled or suspended/not cancelled or suspended.
(d)	The undersigned/the person proposed to be employed by me have been/have not been penalised, convicted or prosecuted under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Excise Act 1944 (1 of 1944), and the Finance Act, 1994.

List of documents furnished in accordance with regulation 6 of Customs Brokers Licensing Regulations, 2018:

S. No.	Educational	Financial
1.		
2.		
3.		
4.		

I/We here	by affirm tha	at I/we have read	the Customs	Brokers	Licensing I	Regulations,	, 2018 and a	gree to abide b	y them

Date:	Signature of applicant

FORM - B1

[see regulation 7(2)(a)]

License for Customs Broker (L-I)

	License No
	Valid up to
Shri/ Shrimatibusiness as Customs Broker all over India subj	address is hereby authorised to transact ject to the conditions laid down in this license.
Specimen signature of the Customs Broker:	
Customs Station of issue :	
	Signature of the Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs (with seal)
Date of issue :	
Conditions of the License	

This license is issued subject to the following conditions:

- (A) The Licensee shall, —
- 1. not sell or transfer license to any other person.
- obtain an authorization from each of the companies, firms or individuals by whom he is for the time being employed as Customs Broker and produce such authorisation whenever required by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs.
- transact business in the Customs Station either personally or through an employee duly approved by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs, designated by the Commissioner of Customs.
- 4. in the event of the license being lost, report the same immediately to the Commissioner of Customs.
- 5. ensure that he discharges his duties as Customs Broker with utmost speed and efficiency and without any delay.
- 6. comply with the obligations specified in regulation 10 of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018.
- (B). This licence shall be valid for a period of ten years from the date of issue and shall be renewed from time to time in accordance with the procedure provided in sub-regulation (2) of regulation 9 of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018.

FORM - B2

[see regulation 7(2)(b)]

License for Customs Broker (L-O)

		License No
		Valid up to
M/s./Shri/Mstransact business as Customs Broker all over India of firm or a company, the Customs Broker's work		cense. Further, in the case
Name of person(s)	Specimen Signature(s)	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Customs Station of Issue		
	Signature of the Principal Commissioner of Of Customs (with seal)	Customs/Commissioner
Date of issue :		
Conditions of the License		
This license is issued subject to the following cond	ditions:—	

1. not sell or transfer license to any other person.

The Licensee shall, —

- 2. obtain an authorisation from each of the companies, firms or individuals by whom he is for the time being employed as Customs Broker and produce such authorisation whenever required by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs.
- 3. transact business in the Customs Station either personally or through an employee duly approved by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs, designated by the Commissioner of Customs.
- 4. in the event of the license being lost, report the same immediately to the Commissioner of Customs.
- 5. ensure that he discharges his duties as Customs Broker with utmost speed and efficiency and without any delay.
- 6. comply with the obligations specified in regulation 10 of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018.

(B). This license shall be valid for a period of ten years from the date of issue and shall be renewed from time to time in accordance with the procedure provided in sub-regulation (2) of regulation 9 of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018.

FORM - C [see sub-regulation (3) of regulation 7]

Intimation by Customs Broker to work at another Customs Station

	Name of the Customs Broker:—
2.	Aadhaar Number: —
3.	Permanent Account Number (PAN): —
4.	Full address of the Customs Broker : —
5.	Customs Broker License No. and Custom House of issue : —
	Name, Permanent Account Numbers (PAN) and address of each of the partners of the firm or the directors of the company, as the case may be, in case the applicant is a firm or a company : —
	Name(s) of its partner/partners or director/directors and Permanent Account Numbers (PAN) who will actually be engaged in the work as Customs Brokers, in case the applicant is a firm or a company : —
	Educational qualifications of each of the persons, who will actually be engaged in the work as Customs Broker: —

Broker: —
I/We hereby affirm that I/we have read the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 and agree to abide by them.
Signature of the applicant(s)
Date:
FORM - D
[see regulation 8]
BOND Noof 20
Know all men by these present that we are held and firmly bound to the President of India in the sum of Rs
Whereas the said
And whereas the said

all times, whilst holding, such license as aforesaid, behave themselves in a faithful manner as regards the said regulations and if the said and their executors or administrators do at all times make good to the President of India

all and every sums of money which being due to the Government shall be reason of the misfeasance or negligence of the said
And it is hereby agreed that the said sum of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh) only shall remain with the President of India for twelve calendar months after the date upon which the said
Signed, sealed and delivered by the above named on this day, the
1
2
Accepted for and on behalf of the President of India
Signature of the Principal Commissioner of Customs/
Commissioner of Customs
(with seal)
Date :
FORM - E
[see regulation 8]
SURETY BOND Noof 20
Know all men by these presents that we
Whereas the said
Now the condition of the above written bond is such that if the said

reason of the misfeasance or negligence of the said	
Signed, sealed and delivered by the above named in the presence of witnesses.	
1	
2	
Executed before me this	of20
Signature of the Principal Commissi	oner of Customs/
Commissioner	of Customs
(with seal)	
FORM - F	
[see sub-regulation (2) of regulation 13]	
Identity Card	
Customs I	Broker Licence No
M/s./Shri/Ms.:	Identity Card
Designation (Proprietor, Partner, Director, Employee):	
Permanent Account Number (PAN):	
Aadhaar Number:	
Issued at:	
Valid up to:	Photo with signature and seal of Deputy/
Name of the Customs Broker:	Assistant
Type of Customs Broker:	Commissioner of
(Proprietorship/Firm/Pvt./ Public Ltd./Others)	Customs
Specimen signature of the Customs Broker:	
I have passed the examination conducted under regulation 6 Licensing Regulations, 2018.	of the Customs Brokers
Signature	of the Deputy/
	nt Commissioner of Customs
(W	ith seal)
(Photo to be supplied by the Customs Broker)	

FORM - G

[see sub-regulation (5) of regulation 13]

Valid ur	to

Identity Card

Photo with signature and seal of Deputy/ Assistant Commissioner of

	Commissioner of Customs
Shri/Ms	authorized by him/them to ed to do so for a period of
He has passed the examination conducted under sub-regulation (5) of regulation 13 of Licensing Regulations 2018.	the Customs Brokers
Specimen Signature of employee:	
Permanent Account Number (PAN) of employee:	
Name of the Customs Broker:	
Customs Broker License No:	
Customs Station:	
Dated the 20	
	Commissioner/ Assistant Commissioner of Customs
	(With seal)
(Photo to be supplied by the Customs Broker)	
FORM - H	
[see sub-regulation (9) of regulation 13]	
	Valid upto
IDENTITY-CUM-AUTHORITY CARD	
Shri/Ms of	

This identity card is valid for a period of five years the license issued to his principal, whichever is earlier.	from the date of issuance or until the cancellation of
Specimen Signature of employee:	
Name of the Customs Broker:	
Customs Station:	
Dated the 20	
	Signature of the Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner of Customs
	(With seal)
(Photo to be supplied by the Customs Broker)	
	[F. No. 520/07/2013- Cus VI.]
	B. KONTHOUJAM, Under Secy.